<u>जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।</u>

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 93वीं बैठक दिनांक 25–2–2006 को प्रातः 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 3 से 7, 15 एवं अति. एजेण्डा संख्या–1 वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) एवं एजेण्डा संख्या 1, 2, 8 से 15 एवं 23 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरणः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा , जयपुर।
2. श्री नवरतन राजौरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री हनुमान सिंह भाटी, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
5. श्री श्रवण साहनी, अति. आयुक्त भूमि(पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री लोकनाथ सोनी, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री यू.डी. खान, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री यज्ञमित्र सिंह देव, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती रश्मी गुप्ता, उपायुक्त जोन–8 जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजेन्द्र एस. मक्कड, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, उपायुक्त, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमति आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियेाजक(बीपीसी–स्कीमस) जविप्रा, जयपुर।
11. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियेाजक, जोन–2 एवं 6, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री तेजसिंह राठौड, उप नगर नियेाजक, जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री भरत लाल माली, सहायक नगर नियेाजक, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।

<u>एजेण्डा विवरणः–</u>

एजेण्डा सं0 1 :– बीपीसी (एल पी) बैठक संख्या 92 वीं बैठक दिनांक 27–1–06 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पृष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा सं0 2 :– बीपीसी (एल पी) बैठक संख्या 92 वीं बैठक दिनांक 27–1–06 में लिये गये निर्णयों के कियान्विती की समिक्षा।

एजेण्डा सं0 17 के मौका निरीक्षण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण शीघ्र उपायुक्त जोन द्वारा करवाया जावे।

एजेण्डा सं0 21 के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि सैक्टर 54–55 जनता से आपत्ति/सुझाव निर्धारित अवधि के प्राप्त होने के पश्चात् उनका निराकरण संशोधित सैक्टर प्लान बीपीसी(ले आउट) की बैठक 27–1–2006 में स्वीकृत कर जारी कर दिया गया है। एक आपत्ति निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त हुई थी लेकिन कियान्विती की समीक्षा के समय माननीय सदस्यो द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राप्त आपत्ति पर विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र में उल्लेखित 100 फिट चौडी सडक के भाग का सर्वे करवाया जावे तथा समिति द्वारा मौका निरीक्षण भी किया जावे।

शेष कियान्विती पर संतोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा (अतिरिक्त) सं0 36 के मौका निरीक्षण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण शीघ्र उपायुक्त जोन द्वारा करवाया जावे।

एजेण्डा सं0 3 :– मौजी हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी का योजना मौजी नगर में भूखण्ड संख्या 1 से 27 तक का नियमन के निर्णय बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से प्रश्नगत भूखण्डों का मौका निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 4 :– सिद्धार्थ नगर ई ब्लोक में भूखण्ड संख्या 72, 73, 74, 117, 118 व 130 को मौके की स्थिति के अनुसार ब्लोक में रिप्लानिंग के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व 84वीं बीपीसी–II दिनांक 2–9–05 की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निदेशक (आयोजना) व अति. आयुक्त (पूर्व) द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में दिये गये निर्णय अनुसार उक्त भूखण्ड की रिप्लानिंग का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा सं0 5 :– खसरा संख्या 513 राजस्व ग्राम नाहरगढ के भूखण्ड संख्या 7 व 1 के सामने की सैक्टर रोड की चौडाई 60 फीट के लिये इन भूखण्डों में से 10 फिट के स्थान पर 5 फिट किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि जोरावर सिंह गेट से ब्रहम्पुरी पुलिस थाना तक जाने वाली 60 फिट सैक्टर रोड की चौडाई मौके पर उपलब्ध नहीं है एवं सभी भूखण्ड निर्मित हो गये है अतः इस सडक की चौडाई 60 फिट के स्थान पर मौके के अनुसार अधिकतम व कम से कम 40 फिट किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 6 :– भूखण्ड सं0 1 बी निजी भूखण्ड खसरा नं0 1148 से 1151 ग्राम झोटवाडा।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर सचिव, जविप्रा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रकरण जोनल लेबल कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है अतः समिति द्वारा जोनल लेबल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा सं0 7 :– छत्रपति शिवाजी गृ. नि. स. समिति योजना रामनाथपुरी।

प्रकरण में समिति द्वारा दोनो पक्षो के प्रतिनिधियों से उनके तथ्यो/पक्ष की सुनवाई की गई एवं निर्णय लिया गया कि प्रकरण ज.वि.प्रा. अपीलीय अधिकरण में न्यायिक वाद संस्था 611/05 श्रीमती

रामजानकी डंगायच बनाम जविप्रा विचाराधीन है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड सं0 38 में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया है अतः प्रकरण को न्यायिक निर्णय होने तक स्थगित रखा जावें। समिति द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय (बीपीसी) पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जो निम्नांकित है।

बी.पी.सी.(ले आउट प्लान) की बैठक सं0 91 दिनांक 6/7–12–2005 में एजेण्डा सं0 5 पर निम्नवत निर्णय लिया गया था। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा समिति के खिलाफ बार बार योजना मानचित्र बदले जाने के कारण एफ.आई. आर. दर्ज करवाई जावे एवं भूखण्ड सं0 1 से 6 का जोन के प्रस्तावो के अनुरूप अनुमोदन कर दिया जावे।

एजेण्डा सं0 8 :– पदमावती कॉलोनी के खसरा नंबर 21 में आनर्स लेण्ड में दुकानें अनुमोदन करने के क्रम मे।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय सदस्यों को मौका निरीक्षण कराये जाने के पश्चात् मौका निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा सं0 9 :– न्यू पिंकसिटी गृ. नि. स. समिति लि0 योजना महावीर नगर टौंक रोड में सांधी फैक्ट्री व भूखण्ड संख्या 497 से 499 के मध्य स्वीकृत 30.0 फिट चौडी रोड को विलोपित करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 10 :– हीरा कॉपरेटिव हाऊसिंग लि. की रूप विहार योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र का उपयोग पार्क में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् एजेण्डा में उल्लेखित सुविधा क्षेत्र को पार्क हेतु दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 11 :– भूखण्ड संख्या 171 कस्तूरवा नगर योजना का समिति द्वारा किये गये आवंटन क्षेत्रफल 536 वर्ग गज का अनुमोदन करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् नियमानुसार बढे हुए क्षेत्रफल की राशि ली जाकर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सडक की चौडाई छोडते हुए भूखण्ड का नियमन कर लीजडीड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 12 :– जयचामुण्डा गृ. नि. स. समिति योजना श्याम विहार ग्राम सांगानेर।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय सदस्यों को मौका निरीक्षण कराये जाने के पश्चात् मौका निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा सं0 13 :– श्री गंगाराम चौधरी निजी खातेदार योजना बैंक ऑफीसर्स कैम्पस डी–ब्लोक ग्राम–दांतली, तह. सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निजी खातेदार द्वारा प्रस्तावित योजना 40 बीघा से कम है जो आयुक्त महोदय के अधिकार क्षेत्र में है अतः प्रस्तुत एजेण्डा विड्रा किया गया।

एजेण्डा सं0 14 :– निजी खातेदार आवासीय योजना पामकोर्टस आवासीय व सुविधा क्षेत्र के अनुपात में संशोधन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बडे भूखण्ड में प्रस्तावित भूखण्डों के उपविभाजन स्वीकृत किया जावे। सडक व सुविधा क्षेत्र का भूभाग योजना स्वीकृत उपरान्त प्राधिकरण में निहित हो जाता है, जिसे आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लेने की छूट राज्य सरकार ही दे सकती है अतः प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

एजेण्डा सं0 15 :– दी फारेस्ट न्यू गृ. नि. स. समिति योजना अशोक विहार मालवीय नगर के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन मा. मौका निरीक्षण करवाये जाने के पश्चात् मौका निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रकरण को पुनः बी.पी.सी. के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

एजेण्डा सं0 23 :– शंकर भवन गृ. नि. स. स. लि. की योजना शक्ति नगर के भूखण्ड संख्या 34 व इस ब्लौक में स्थित भूखण्डों का मौके की स्थिति के अनुसार लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा एजेण्डा के साथ सलंग्न मौके की स्थिति के अनुसार जो भूखण्ड सं0 28 से 35 का ब्लौक प्लान सलंग्न किया गया है उसमे इस येाजना के ब्लोक के सामने स्वीकृत सडक की चौडाई रखते हुए लीजडीड जारी की जावे तथा सहकारी समिति द्वारा आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र होने की स्थिति में नियमानुसार बढे हुए क्षेत्र की राशि ली जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार–विमर्श किया गया।

अति. एजेण्डा सं0 1 :– विद्याधर नगर सैक्टर 4 के सामने बसी सहकारी समिति की कालोनियो मदनबाडी राजीव नगर पृथ्वी नगर जे.पी. कोलोनी की मुख्य सडक मन्दिर मोड से नया खेडा R.P.A. रोड की चौडाई के संबंध में (एजेन्डा रहित)।

प्रकरण में बी.पी.सी. (ले आउट प्लान) की 92वीं बैठक दिनांक 27–10–2006 के परिपेक्ष में गहन विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना पृथ्वी नगर के चौपड (Circle) व सडक से प्रभावित भूखण्डों के लिये भूखण्डों एवं सडक की रिप्लानिंग के पहल किया जाये ताकी निर्धारित Road Section को व्यावहारिक रूप से Implement कर सकें। अतः Replanning के साथ प्रकरण को आगमी बैठक में विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया गया।

समयाभाव के कारण अन्य प्रकरणों पर विचार–विमर्श नहीं किया जा सका। जिन पर आगामी बैठक में विचार किया जावेगा।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुईं।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

क्रमांक :– जविप्रा / वननि / बी.पी.सी. / 2006 / डी–47

दिनांक :– 01/3/06

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व) / (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट / एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।